बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरणः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. नरेन्द्र भारती
श्री कृष्ण कॉम्पलेक्स,
अहियापुर चौक,
मुजफ्फरपुर, बिहार, भारत
ईमेलः narendrabharti.1212@gmail.com

सारांश

महिला सशक्तिकरण बिहार में एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विमर्श का मुद्दा है। यह न केवल राज्य के विकास दर को प्रभावित करता है बल्कि आर्थिक और सामाजिक समरसता के लिए भी आवश्यक है। नीतीश कुमार ने इस दिशा में कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें विशेष योजनाओं का क्रियान्वयन और नीतिगत पहले शामिल हैं। नीतीश कुमार के दूरदर्शी नेतृत्व मे महिला सशक्तिकरण केवल एक नारा नही; बल्कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का केन्द्रीय विषय भी था। इस चुनाव मे महिलाओं की भागीदारी ने मतदान के स्वरूप को बदल दिया, सामाजिक बदलाव को गति दी और एक नए राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। इनके नेतृत्व में महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के माध्यम से सशक्त करने पर बल दिया गया। इससे महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आया और उनके आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला। यह अध्ययन नीतीश कुमार की नीतियों का विश्लेषण करते हुए इस बात पर बल देता हैं कि कैसे उनके नेतृत्व ने बिहार में महिलाओं की सामाजिक संरचनाओं में बदलाव लाया और बिहार की राजनीति को अधिक समावेशी और प्रगतिशील दिशा में अग्रसर किया। इस अध्ययन के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि सशक्त महिलाओं का समाज में क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है और कैसे यह विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कारक बनता है।

मूल बिन्दु

बिहार की राजनीति, नीतीश कुमार, नेतृत्व, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता, मतदान व्यवहार

Reference to this paper should be made as follows:
Received: 20-02-26
Approved: 03-03-26

डॉ. नरेन्द्र भारती

बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरणः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

RJPP Oct.25-Mar.26, Vol. XXIV, No. I, Article No. 24 Pg. 217-223

Online available at:
https://anubooks.com/journal-volume/rjpp-mar-2026-vol-xxiv-no1--270

https://doi.org/10.31995/rjpp.2026.v24i01.024

प्रस्तावना

बिहार में नीतीश कुमार के शासनकाल के दौरान महिला सशक्तिकरण एक महत्त्वपूर्ण विमर्श बना। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। बिहार के परंपरागत समाज में विवाह, मातृत्व और घरेलू जिम्मेदारियां आदि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण बाधा है। नीतीश कुमार के द्वारा सामाजिक संरचना में महिलाओं की स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक सहभागिता के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण पहल किए गए। मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, महिलाओं के लिए रोजगार में 35 प्रतिशत आरक्षण, स्थानीय स्वशासन के निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण, लैंगिक बजट के अलावा जीविका के माध्यम से लाखों स्वयं सहायता समूह के गठन के द्वारा बिहार में महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन नीतीश कुमार नीत गठबंधन की सरकार के द्वारा किया गया।

बिहार सरकार द्वारा चलाए गए इन कार्यक्रमों के फलस्वरूप पारिवारिक निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। वित्तीय समावेशन अंतर्गत महिलाओं के बैंक खाते खोले गये तथा घर एवं जमीन का स्वामित्व में महिला भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। महिलाओं को सशक्त बनाना एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए एक शर्त है, जब महिलाएं सशक्त होंगी, तो स्थिरता वाला समाज सुनिश्चित होगा। महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है क्योंकि उनके विचार और उनके मूल्य प्रणाली एक अच्छे परिवार, अच्छे समाज और अंततः एक अच्छे राष्ट्र के विकास की ओर ले जाते है।

नीतीश कुमार की नीतियों से महिलाओं का बढ़ता आत्मविश्वास

1985 में नैरोबी में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में सशक्तिकरण को महिलाओं के पक्ष में सामाजिक शक्ति और संसाधनों का नियंत्रण का पुनर्वितरण बताया गया था।[1] महिला सशक्तिकरण एक जटिल लेकिन महत्त्वपूर्ण विषय है, विशेष रूप से बिहार में नीतीश कुमार के राजनीतिक नेतृत्व के संदर्भ में। नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में अनेक नीतियों और कार्यक्रमों की शुरुआत की, जो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए अग्रसर हैं। यह बदलाव न केवल सामाजिक संरचना को चुनौती देता है, बल्कि यह महिलाओं के आर्थिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करने का भी प्रयास करता है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी गठबंधन सरकार ने 'न्याय के साथ विकास' का लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए विशेष कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत की।[2]

सशक्तिकरण एक ऐसा शब्द है जो चुनाव की स्वतंत्रता, स्वायत्तता, मुक्ति, भागीदारी, आत्मविश्वास, गतिशीलता और आत्मनिर्णय को दर्शाता है। सशक्तिकरण के तरीकों को पाँच मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है; सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक। यह महिलाओं के साथ–साथ समाज में अन्य वंचित, हाशिए पर पड़े और सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूहों पर भी लागू होता है। विशेष रूप से, महिलाएँ अन्य सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूहों के सापेक्ष एक श्रेणी में आती हैं और उनकी लाचारी का मूल कारण उनके पारिवारिक संबंध होता है।[3]

नीतीश कुमार के नेतृत्व ने बिहार के प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देकर न केवल राज्य की विकास यात्रा को सुगम बनाया, बल्कि इसे 'नया बिहार' बनाने का भी प्रयास किया। इसके अंतर्गत बिहार विकास मिशन और जीविका परियोजना जैसे कार्यक्रमों ने सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, जिससे महिलाओं ने निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई। बिहार में सामाजिक न्याय और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने में नीतीश कुमार की नीतियों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। यह स्थानीय राजनीति से सम्पूर्ण राज्य के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को आकार दे रहे हैं। बिहार में महिला आरक्षण की राजनीति के महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता। इसने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने में नीतीश कुमार के नेतृत्व की भूमिका को और मजबूत किया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का सामाजिक स्वीकृति मिली, जिससे उनकी परंपरागत भूमिकाओं में बदलाव आया।

महिलाओं के पारंपरिक भूमिकाएँ और सामाजिक मानदंड भारत के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर बिहार में, महिला सशक्तिकरण के मार्ग में बाधक है। इन पारंपरिक मानदंडों में विवाह, मातृत्व और घरेलू जिम्मेदारियों को सबसे ऊपर रखा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों से वंचित किया जाता है। नीतीश कुमार के राजनीतिक नेतृत्व में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं, लेकिन सामाजिक संरचना में गहराई से समायी वर्जनाएँ अभी भी चुनौती पेश करती है। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि पारंपरिक सामाजिक ढांचों को चुनौती दी जाए।

शिक्षा को हमेशा से महिला सशक्तिकरण को सुगम बनाने और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छा साधन माना जाता रहा है। विद्यालय लैंगिक समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे बच्चों में लैंगिक न्यायपूर्ण समाज के लिए आवश्यक उचित दृष्टिकोण और मूल्य विकसित करें। शिक्षा सामाजिक क्षेत्र का अनिवार्य घटक है। राज्य के समग्र विकास में मानव पूंजी का विकास आवश्यक है। बिहार में महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना शुरू की गई।[4]

बिहार में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय वर्ष 2012–13 में 14321.15 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2026–27 में 68216.95 करोड़ रुपया हो गया। यह बजट 'सात निश्चय–3' की परिकल्पना के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया, जिसमें समावेशी विकास, रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, अवसंरचना तथा आम लोगों के कल्याण पर विशेष जोर दिया गया। शिक्षा क्षेत्र को सबसे अधिक 68,216 करोड़ का आवंटन मिला, जिससे स्कूली शिक्षा, शिक्षक सहयोग, अवसंरचना और सीखने की गुणवत्ता को प्राथमिकता दी गई।[5]

बालिकाओं का उच्च शिक्षा में उपस्थिति बढ़ाने एवं आवागमन के साधन में सुधार हेतु मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना का आरंभ वर्ष 2007–08 में किया गया। इस योजना के तहत कक्षा 9वीं में 75 प्रतिशत से ज्यादा उपस्थित रहने वाली छात्राओं के लिए उनके बैंक खाते के माध्यम से साईकिल खरीदने हेतु 3000 रूपये की राशि सरकार द्वारा दी जाती है।

मुख्यमंत्री बालिका छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत वर्ष 2009–10 में बालिकाओं के लिए किया गया। इसके अंतर्गत मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास छात्राओं को 10000 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। बालिकाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन एवं सशक्तिकरण के लिए 2018–19 में मुख्यमंत्री बालिका (इन्टरमीडिएट) योजना की शुरुआत की गई, जिसमें अविवाहित छात्राओं को 25000 रूपये की रकम दी जाती है। साथ ही मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अविवाहित छात्राओं को 50000 रूपये स्नातक की शिक्षा पूर्ण कर लेने पर दी जाती है।

मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बिहार की महिला अभ्यार्थियों हेतु, जिन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर महिला अभ्यार्थियों को क्रमशः 1,00,000 एवं 50,000 रूपये सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा किया जाता है।

शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए लागू की गई नीतियाँ महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देकर उनके शासन में संलग्न होने की संभावनाओं को बढ़ाती है। इन पहलों ने महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक निर्णयों में भाग लेने का मौका दिया, जिससे शासन की गुणवत्ता में सुधार हुआ और विभिन्न समुदायों में समन्वित विकास को बढ़ावा मिला।

गर्भावस्था और प्रसव के दौरान उत्पन्न होने वाली जटिलता से बचाव और उससे निपटने में स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता का दूसरा सूचक मातृ मृत्यु दर है। मातृ मृत्यु दर पर प्रतिदर्श निबंध प्रणाली की आंकड़ों के अनुसार बिहार में प्रसव से संबंधित मामलों में मरने वाली महिलाओं की संख्या वर्ष 2015–17 में 165 प्रति लाख जीवित पर से घटकर वर्ष 2018–20 में 118 रह गई। वहीं 2025 रिपोर्ट के अनुसार यह घटकर 100 हो गई। कुल 18 अंकों की गिरावट आई। वर्ष 2004 में बिहार में मातृ मृत्यु दर 312 थी जबकि भारत में 254 था। इस प्रकार, बिहार में सरकार द्वारा मातृ मृत्यु दर में तेजी से कमी लाकर राष्ट्रीय स्तर के अंतर को कम किया।[6]

महिलाओं में वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु बिहार सरकार ने स्वयं सहायता समूह आधारित जीविका परियोजना को बढ़ावा दिया। इसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बैंकों के साथ ऋण संपर्क हेतु जोड़ा गया। इससे वित्तीय समावेश को मजबूती मिली और बचत की संस्कृति को बढ़ावा मिला। सितंबर 2025 तक संचित रूप से 10.02 लाख स्वयं सहायता समूह के बैंक खाता खुला, जिसमें 34463.96 करोड रुपए की कुल 18.95 लाख स्वयं सहायता समूहों का बैंकों के साथ ऋण संपर्क हुआ।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु कार्य सहभागिताा दर को बढ़ाने के लिए ''आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार'' नीति के तहत बिहार में महिलाओं के लिए प्राथमिक विद्यालय की शिक्षक रिक्ति में 50 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया, पुलिस बल में 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई।

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने और समाज में उनकी स्थिति मजबूत करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जैसी योजनाओं की शुरुआत की गई। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा कोष, स्वास्थ्य जोखिम कोष, अल्पावास गृह एवं सामाजिक जागरूकता हेतु अधिनियम पारित किए गए हैं। इस प्रकार, नीतीश कुमार के नेतृत्व और दूरदर्शिता बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है।[7]

बिहार के शासन–व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में कई राजनीतिक पहलों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में, बिहार विकास मिशन और जीविका प्रोजेक्ट जैसी पहले न केवल विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि इनसे महिलाओं को सशक्त बनाने, उनके आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने में भी मदद मिली है।

बिहार में महिला मतदाताओं का बढ़ता प्रभाव और चुनावी नतीजों पर असर

वर्ष 1990 से लेकर 2025 तक के बिहार विधानसभा चुनावों में महिलाओं की भूमिका धीरे–धीरे एक साधारण वोटर से आगे बढ़कर निर्णायक ताकत बन गई शुरूआती दौर में महिलाओं की भागीदारी कम थी, लेकिन वर्ष 2000 के बाद से उनके सशक्तिकरण ने राजनीतिक परिदृश्य में एक नया मोड़ लिया। महिलाओं ने अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई, सामाजिक मुद्दों पर बोलने का साहस दिखाया और नए राजनीतिक गठबंधनों को आकार दिया। 2025 के चुनावों में, उनकी निर्णायक भूमिका ने दिखा दिया कि कैसे महिला सशक्तिकरण ने बिहार की राजनीति को अधिक समावेशी, अधिक न्यायपूर्ण और अधिक प्रगतिशील दिशा में प्रेरित किया है, जो आने वाले समय में सामाजिक बदलाव और नीतिगत सुधार का आधार बनेगा।

महिला भागीदारी की राजनीतिक पहल न केवल व्यक्तिगत विकास का मार्ग प्रशस्त करती है, बल्कि समाज के लिए एक समग्र सकारात्मक परिवर्तन लाने का भी कार्य करती हैं। महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त करना समावेशी नीतियों में सबसे महत्वपूर्ण नीति है। पंचायती राज संस्था और शहरी निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण इनमें से एक है। इस नीति ने राज्य में सामाजिक रूप से वंचित आधे वर्ग को लोकतांत्रिक रूप से सुदृढ़ किया। यह निर्णय पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया।[8]

नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में महिला सशक्तिकरण एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक बना है। उन्होंने महिला आरक्षण जैसे नीतिगत उपायों से महिलाओं की भागीदारी को विधानसभा और पंचायतों में मजबूत किया, जिससे एक नई पीढ़ी जागरूक और आत्मनिर्भर बनी। आर्थिक रूप से स्वावलंबन की दिशा में बढ़ते कदमों ने महिलाओं को स्वरोजगार, शिक्षा और नेतृत्व में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास दिया।

बिहार में महिलाओं के अधिकारों और उनकी स्थिति में प्रगति के संकेत मिलते हैं। आज महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। सड़क से दफ्तर, दफ्तर से घर तक सकारात्मक माहौल उन्हें खुले

आसमान में उड़ने के लिए अवसर प्रदान कर रहा है। महिला आरक्षण के अलावा भी सरकार द्वारा कई मुहिम चलाई जा रही है जिनके फलस्वरूप वह सशक्त होकर राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर रही है।[9] परंतु चुनौतियों अभी भी उनके सामर्थ्य के विकास में बाधा बनती हैं। महिला शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है परंतु सामाजिक और आर्थिक असमानता आज भी मौजूद है, जो महिलाओं के विकास की संभावनाओं को सीमित करती है।

बिहार विधानसभा चुनाव : 1952–2025

विधानसभा चुनाव का वर्ष	चुनाव में भागदारी (प्रतिशत)		
	महिला	पुरूष	कुल
1951–52	NA	NA	42.60
1957	NA	NA	43.24
1962	32.47	54.94	44.47
1967	41.09	60.82	51.51
1969	41.43	62.86	52.79
1972	41.03	63.06	52.79
1977	38.32	61.49	50.51
1980	46.86	66.57	57.28
1985	45.63	65.81	56.27
1990	53.25	69.63	62.04
1995	55.80	67.13	61.79
2000	53.28	70.71	62.57
2005 फरवरी	42.52	49.95	46.50
2005 अक्टूबर	44.49	47.02	45.85
2010	54.49	51.12	52.73
2015	60.48	53.32	56.91
2020	59.69	54.45	57.29
2025	71.6	62.8	66.91

स्रोतः भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।

इन आंकड़ों से यही ज्ञात होता है कि बिहार में महिला मतदाताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव केवल एक सांख्यिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक संरचना में एक बुनियादी परिवर्तन का संकेत है। 2025 के चुनाव में महिलाओं ने अपनी राजनीतिक शक्ति का एहसास कराया, जिससे सत्ता संतुलन प्रभावित हुआ और नए गठबंधनों और नीतिगत बदलावों का द्वार खुला। जो आने वाले समय में बिहार की राजनीति और महिला सशक्तिकरण के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकती है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन का मूल निष्कर्ष यह है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को एक निर्णायक शक्ति में बदल दिया है। वर्ष 1990 से 2025 तक, महिलाओं ने मतदान, प्रतिनिधित्व और नेतृत्व में अभूतपूर्व बढ़त दर्ज की, जिससे जातिगत और पारंपरिक राजनीति की सीमाएं टूटीं। यह बदलाव न केवल चुनावी नतीजों में स्पष्ट है, बल्कि महिलाओं के

आत्मविश्वास, समाज में उनकी भूमिका और आर्थिक शैक्षिक उन्नति में भी दिखाई देता है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी अब बिहार के भविष्य का आधार है, जो इसे और अधिक समावेशी और प्रगतिशील बना रही है। जिससे बिहार की राजनीति और समाज दोनों ही समृद्ध हुए हैं। इस प्रकार, महिला सशक्तिकरण बिहार की राजनीति और समाज के भविष्य का आधार बन चुका है, जो आज की राजनीति में एक स्थायी और प्रासंगिक परिवर्तन का संकेत है।

संदर्भ

1. मोक्ता, एम. (2014), भारत में महिला सशक्तिकरण : भारत में महिला सशक्तिकरण का एक आलोचनात्मक विश्लेषण, भारतीय लोक प्रशासन जर्नल, 60(3), पृ0सं0 473–488
2. रंजन, डॉ. रघुवीर कुमार (2025), बिहार में गठबंधन की राजनीतिः एक अध्ययन (2005 से 2020) शोध प्रबंध, एल एन एम यू, पृ0सं0 185
3. कुमार, सी विनोद (2021), इंपावरमेंट ऑफ वुमन थ्रू एम.एस.एम.ई. इन इंडिया, प्रो. सी.वी. भांगरी, (सम्प) वेरीअस डायमेंसंस ऑफ वुमन इंपावरमेंट इन इंडिया, पृ0सं0 1
4. झा, प्रो. कामेश्वर, (2020) नीत नूतन बिहार उन्नायक, नीतीश कुमार, दिल्ली, समीक्षा प्रकाशन, पृ0सं0 125
5. www.livehindustan.com बिहार बजट 2026–27, 4.02.2026
6. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25
7. कुमारी, डॉ. नीतू (2025), विभाजनोप्रांत बिहार में विकास की राजनीति : एक अध्ययन, शोध प्रबंध, एल एन एम यू, पृ0सं0 44
8. बिहार सरकार, 'बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006', पटना
9. ठाकुर, रामनाथ (संपादित) कुमार वरूण, प्रयोग धर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार, पृ0सं0 39